5.2.19

प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। उपस्थित प्रार्थी के अधिवक्ता को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का नोटिस तामिल कराये बिना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही रेस्पोडेन्ट के खेत का सीमांकन एवं पत्थरगढी करने के आदेश दे दिये। जबकि अपीलान्टस रेस्पोडेन्टस के पडोसी खातेदार है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से उपखण्ड अधिकारी,चौहटन द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 56/2017 मे पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.5.2018 की पालना व प्रभाव को स्थगित किया जावे।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया तथा स्थगन प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों के आधार पर तहसीलदार, तहसीलदार चौहटन को निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलान्ट के राजस्व रेकर्ड मे दर्ज भूमि खसरा नं. 163 रकबा 87 बीघा मौजा रतासर डेर को प्रभावित किये बिना सभी पक्षकारो की मौजूदगी मे रेस्पोडेन्ट के खेत का सीमांकन व पत्थरगढी की कार्यवाही सुनिश्चत करें। स्थगन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर निर्णित होकर मूल पत्रावली के सलग्न हो।

5/2/19

(ललित कुमार गुप्ता)
डिवीजनल कमिश्नर,जोधपुर

क्रमांक: कोर्ट/DC/19/37-38 दिनांक 05-02-2019

प्रतिलिपि:- 1) उपखण्ड अधिकारी, चौहटन
2) तहसीलदार चौहटन
को उपरोक्तानुसार पालनार्थ प्रेषित है

आज्ञा से

रीडर
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर